

PM-KISAN Issue Fix & Grievance

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 16 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

PM-KISAN समस्या हल कर किस्ते फिर शुरू करना — पात्रता या eKYC मुद्दा, भूमि-सीडिंग या Aadhaar/बैंक नाम बेमेल, या गलत बहिष्करण — सही अवरोधक पहचानकर, सुधार-चरण सूचीबद्ध कर, और मैनुअल सुधार आवश्यक होने पर शिकायत रचकर यह टूल करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

सटीक अवरोधक (eKYC, भूमि-सीडिंग, नाम बेमेल, बहिष्करण-फ्लैग) व सुधार-चरण पहचानकर, आवश्यक होने पर शिकायत तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

अवरोधक-पहचान, सुधार-चरण व तैयार शिकायत का उपयोग पोर्टल या CSC से eKYC, भूमि-सीडिंग या Aadhaar-बैंक बेमेल सुधारने, और मैनुअल सुधार आवश्यक होने पर किस्ते फिर शुरू कराने हेतु ज़िला कृषि अधिकारी को शिकायत जमा करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

सुधारों हेतु PM-KISAN पोर्टल या CSC; मैनुअल सुधार/पुनर्स्थापन हेतु ज़िला कृषि अधिकारी।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

पोर्टल या CSC से eKYC, भूमि-सीडिंग या बैंक-सुधार पूरा करें, और समस्या बनी रहने पर तथ्य व अधिकार सहित शिकायत/प्रस्तुतीकरण ज़िला कृषि अधिकारी को जमा करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

पेशेवर आवश्यक नहीं; CSC ऑपरेटर या ग्राम राजस्व/कृषि अधिकारी सीडिंग व eKYC में सहायता करता है।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

रुकी किस्त प्रायः eKYC, भूमि-सीडिंग या Aadhaar-बैंक नाम बेमेल, या बहिष्करण-फ्लैग होती है, और हर एक का विशिष्ट समाधान; आयकर/बहिष्करण-फ्लैग हेतु पुनर्स्थापन से पहले पात्रता स्पष्ट करनी होगी PM-KISAN पोर्टल पर सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।